

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर,

क्रमांक एफ-1-70/राजस्व/आपदा/2017
प्रति,

रायपुर, दिनांक /05/2017

समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषय:—आगामी मानसून 2017 में प्राकृतिक आपदा से बचाव एवं राहत व्यवस्था करने के संबंध में ।

—00—

विषयान्तर्गत भारत सरकार गृह मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 18.04.2017 में दिये निर्देशानुसार आगामी मानसून 2017 को देखते हुए बाढ़, अतिवृष्टि आदि से बचने हेतु निम्नलिखित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

1. जिला अधिकारियों की बैठक आहूत कर आपदा प्रबंधन हेतु तैयार एक्शन प्लान पर पुनः विस्तृत चर्चा कर लें और सभी तथ्यों को यथा समय दुरुस्त कर लें ।
2. समस्त वर्षामापक केन्द्रों पर स्थापित वर्षामापक यंत्रों का उचित संधारण एवं जानकारी संकलित करने हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करें ।
3. जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित कर दूरभाष नंबर राहत आयुक्त कार्यालय को देना सुनिश्चित करें । उक्त कन्ट्रोल रूम 01.06.2017 से 24 घंटा कार्य करेगा तथा कन्ट्रोल रूम की जानकारी आम नागरिकों को भी उपलब्ध करावें एवं इसका प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों, आकाशवाणी व दूरदर्शन में भी करावें । सूचना फलक पर भी दर्शित करें।
4. पहुंचविहीन क्षेत्रों में जहां बाढ़ की स्थिति में पहुंचना संभव नहीं होगा वहां पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री, नमक, केरोसीन, जीवन रक्षक दवाईयां आदि नियमानुसार संग्रहित करें और उपलब्ध करावें ।
5. पेयजल की शुद्धता एवं स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए कुंओं, हैण्डपम्प आदि के लिये ब्लीचिंग पावडर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे ।
6. ऐसे क्षेत्रों की पहचान कर ली जावे जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, इन क्षेत्रों में सतत् निगरानी रखने की विशेष व्यवस्था की जावे एवं ऐसे क्षेत्र के लोगों को आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने व उनको ठहराने के लिए कैम्प आदि की सम्पूर्ण योजना तैयार कर ली जावे ।
7. राहत कैम्पों के संचालन की स्थिति निर्मित होती है तो विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1-01 राजस्व/राहत/2016 दिनांक 21.03.2016 द्वारा प्राकृतिक आपदा की स्थिति में संचालित राहत शिविरों के लिए न्यूनतम मापदंड निर्धारित किये गये है मापदंडों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

8. बाढ़ से बचाव संबंधी जो भी उपकरण जिलों में उपलब्ध हो उनकी दुरुस्ती आदि कराकर तुरन्त उपयोग हेतु तैयार रखें। जिन जिलों में मोटर बोट्स उपलब्ध है उनकी जानकारी शीघ्र राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायें। जहां मोटर बोट्स उपलब्ध है वे कृपया सुनिश्चित करें कि मांग आने पर बोट्स तथा प्रशिक्षित जवानों को तुरन्त खाना किया जा सके ।
8. नगरीय क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति प्रायः नाले व नालियों के अवरुद्ध हो जाने के कारण होती है अतः यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि संबंधित नगर निगम/नगर पालिकाओं द्वारा शहर के तमाम नालियों की सफाई निरंतर की जाती रहें।
9. बाढ़ की स्थिति में यदि सेना की मदद की आवश्यकता प्रतिपादित हो तो इसकी सूचना प्रमुख सचिव राजस्व/राहत आयुक्त को व्यक्तिगत रूप से दूरभाष/मोबाईल पर दी जावे।
10. जिन जिलों में बड़ी नदी बहती है वे जिले, नदी के जलस्तर पर बराबर नजर रखें और जलस्तर के खतरे के निशान पर पहुंचने की संभावना होने पर इसकी पूर्व सूचना राज्य स्तरीय कन्ट्रोल रूम तथा निचले जिलों को लगातार देने की व्यवस्था करें तथा तत्काल सुरक्षा उपाय करें।
11. जलाशयों से जल छोड़ने पर विशेष ध्यान रखा जाये। जलाशयों में नियमित रूप से निकासी के प्रयास किये जायें ताकि बाढ़ की स्थिति को और बिगड़ने से रोका जा सके तथा बांधों का जलस्तर बढ़ने पर जल निकासी हेतु निचले जिलों एवं सीमावर्ती राज्यों को 12 घण्टे पूर्व सूचना दी जावे।
12. बाढ़ से हुई क्षति की जानकारी नियमित रूप से राहत आयुक्त कार्यालय के दूरभाष क्रमांक (0771) 2223471, फैक्स 2223472 पर निर्धारित Annexure -I में प्रतिदिन दी जावें ।
13. बाढ़ व बचाव संबंधी जानकारी/सूचना हेतु फैक्स व फोन के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार विभाग के ई-मेल cgreilief@gmail.com का भी प्रयोग करें।
14. जिला एवं तहसील स्तर पर बाढ़ नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति करें तथा उनके दूरभाष एवं मोबाइल नम्बर की जानकारी इस विभाग को भिजवाना सुनिश्चित करें ।
15. प्रदेश में हो रहे वर्षा की जानकारी जिलेवार एवं तहसीलवार राहत आयुक्त कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 0771-2223471 एवं फैक्स क्रमांक 2223472 तथा वेबसाइट <http://cg.nic.in/varsha> पर प्रतिदिन पूर्वान्ह 11.00 बजे तक निर्धारित प्रपत्र-2 में आवश्यक रूप से देना सुनिश्चित करें ।
16. बाढ़ की स्थिति में बचाव सामग्री की आवश्यकता होने पर महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ मुख्यालय रायपुर से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
17. राहत कार्य हेतु राहत मैनुअल का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(रिणु जी पिल्ले)

राहत आयुक्त/ प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक एफ-1-70/राजस्व/आपदा/2017/495
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 11/05/2017

- 1 माननीय राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- 2 माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर ।
- 3 विशेष सहायक, मान. मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय रायपुर ।
- 4 मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन मंत्रालय रायपुर ।
- 5 अपर मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि एवं पशुपालन विभाग, मंत्रालय रायपुर ।
- 6 अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 7 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय रायपुर ।
- 8 प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक निर्माण विभाग मंत्रालय रायपुर ।
- 9 प्रमुख सचिव, छ.ग. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 10 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय रायपुर ।
- 11 सचिव, छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर ।
- 12 सचिव, छ.ग. शासन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ।
- 13 सचिव, छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
- 14 संभागीय आयुक्त, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा संभाग छ.ग. ।
- 15 पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- 16 महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा, छत्तीसगढ़ मुख्यालय रायपुर ।
- 17 संचालक, जनसंपर्क, छ.ग. रायपुर ।
- 18 कमाण्डेन्ट, राष्ट्रीय आपदा कार्यवाही बल,(NDRF) 3रीं बटालियन मुनदाली, जिला कटक ओडिशा ।
19. निदेशक, भारत मौसम विज्ञान केन्द्र, लालपुर, रायपुर (छ.ग.) ।
- 20 निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी छत्तीसगढ़ रायपुर ।
- 21.डिवीजनल रेल्वे मैनेजर, दक्षिण-पूर्वी मध्य रेल्वे, रायपुर ।
- 22.स्टेशन कमाण्डर, सेना मुख्यालय, जबलपुर (म.प्र.)/
- 23.स्टेशन कमाण्डर, सेना मुख्यालय, छत्तीसगढ़/उड़ीसा सब एरिया रायपुर, छत्तीसगढ़
- 24.सचिव, रेडक्रास सोसयटी, रायपुर ।

RP

राहत आयुक्त/ प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
२